मौलिक कानूनी जानकारी

आइए अपने कानूनी अधिकारों और
उत्तरदायित्वों के बारे में जानें

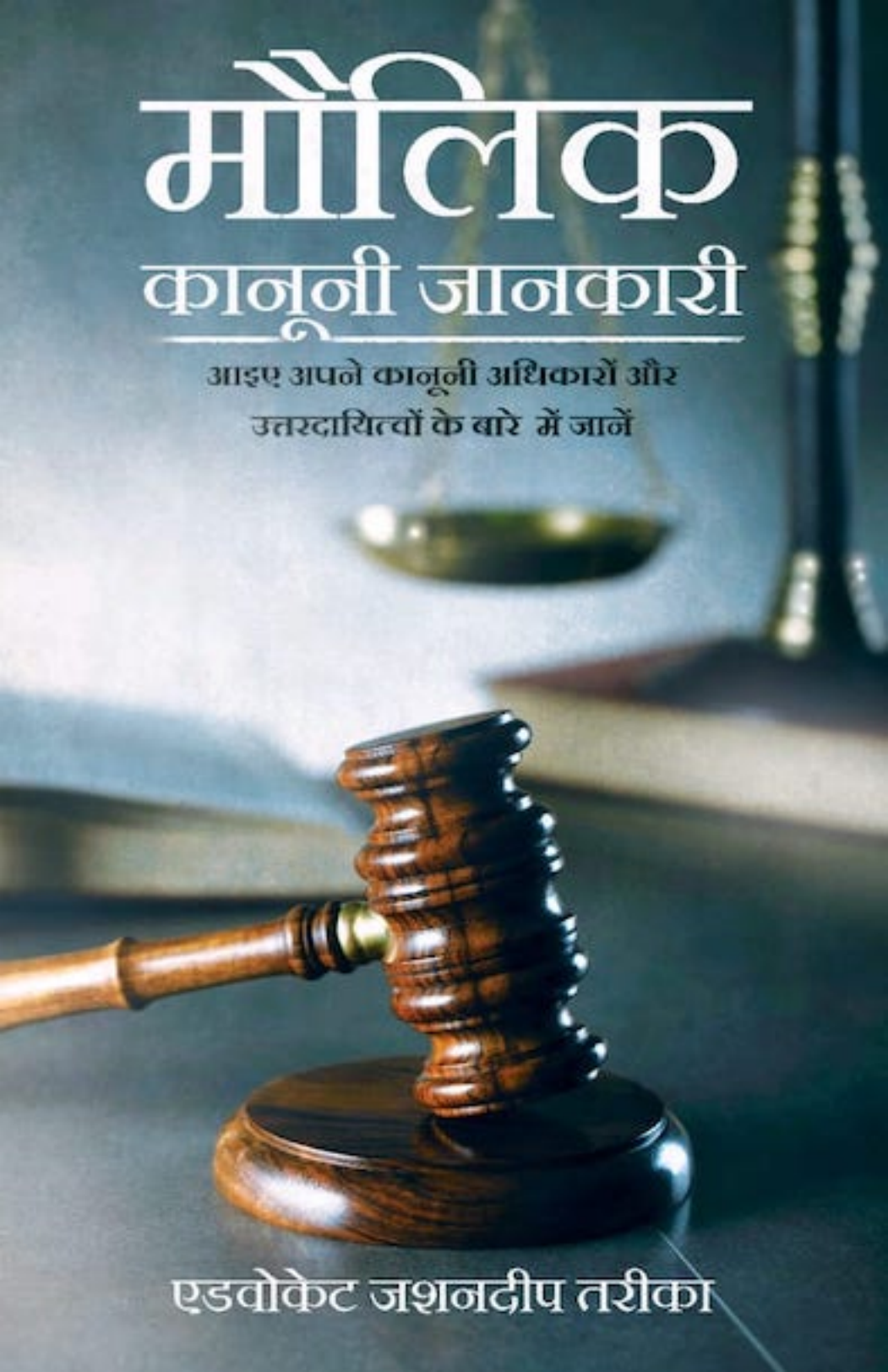

एडवोकेट जशनदीप तरीका

मौलिक कानूनी जानकारी

मौलिक कानूनी जानकारी

एडवोकेट जशनदीप तरीका

Published By
Adv. Jashandeep Tarika

Basic Knowledge of The Law

by

Adv. Jashandeep Tarika
V.P.O.Arniwala (S.S.)
Teh.& Distt. Fazilka-152124
Mobile : 95019-95829
E-mail: tarikajashandeeptarika@gmail.com

© Author

ISBN : 978-93-5810-876-7

Year of Publication : 2023

Rs. 200/-

Printed and Bound in India

Published by
Adv. Jashandeep Tarika

All rights reserved This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, orotherwise circulated without the Author prior written consent in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser and without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored inor introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of copyright owner of this book.

Printer : Unistar, Mohali

विषय सूची

आपराधिक कानून से सम्बन्धित विषय

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या होती है ? 13
2. गिरफ़्तारी क्या है ? 19
3. गिरफ़्तारी के बाद कि प्रिक्रिया और अभियुक्त के अधिकार? 29
4. अग्रिम ज़मानत 35
5. ज़मानत – क्या यह अभियुक्त का अधिकार है ? 41
6. ज़मानत, पौरोल और फ़रलो – क्या इन में कोई अंतर है ? 49
7. क्या होता है ट्रांजिट रिमांड और ट्रांजिट ज़मानत ? 55

दीवानी कानून से सम्बन्धित विषय

8. पुरुष की संपत्ति – उत्तराधिकारी कौन ? 63
9. स्त्री की संपत्ति – उत्तराधिकारी कौन ? 71
10. पुत्री का संयुक्त परिवार की संपत्ति में अधिकार 77
11. स्त्री का बच्चे को गोद लेने और देने (दत्तक) का अधिकार 83
12. पुरुष का बच्चे को गोद लेने और देने (दत्तक) का अधिकार 89

अध्याय –1

'प्रथम सूचना रिपोर्ट' क्या होती है ?

दैनिक जीवन में 'पर्चा' शब्द हमें सुनने को मिलता है परंतु यह पर्चा है क्या? आओ आज हम इस बारे में बात करते हैं । वास्तव में कानून में पर्चा शब्द है ही नहीं। कानून में शब्द है 'प्रथम सूचना रिपोर्ट' (FIRST INFORMATION REPORT / F.I.R.) जिस का संदर्भ हमें दण्ड प्रिक्रिया संहिता, 1973 (Criminal Procedure Code, 1973) में मिलता है परन्तु इस में भी F.I.R. को परिभाषित नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय (SUPREME COURT) ने ***टी. टी एंटनी बनाम केरल राज (2001 SC) (T.T.ANTONY V. STATE OF KERALA)***

वाद/मुकदमे में परिभाषित किया। जिस के अनुसार यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो कि संज्ञेय अपराध (COGNIZABLE OFFENCE) की सब से पहिली रिपोर्ट होती है जिसे थाना प्रभारी (OFFICER INCHARGE OF POLICE STATION) या उसके निर्देश पर अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाता है। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें गिरफ़्तारी और अन्वेषण (INVESTIGATION) के लिए किसी वॉरंट की ज़रूरत नहीं होती। F.I.R. का मुख्य उद्देश्य अपराध विधि (CRIMINAL LAW) को प्रिक्रिया में लाना है अर्थात् F.I.R. वह पहली सीढ़ी है जिस से एक अभियुक्त को उसके किए का दण्ड दिलाने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जाती है ।

अब प्रश्न यह उठता है कि F.I.R.कौन, कैसे और किन परिस्थितियों में दर्ज करवा सकता है। इस बारे में जानकारी दण्ड प्रिक्रिया संहिता, 1973 (CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973) के अध्याय 12 (धारा 154 से धारा 176) में दी गई है।

F.I.R. कोई भी व्यक्ति दर्ज करवा सकता है, यह आवश्यक नहीं कि सूचना देने वाला व्यक्ति (सूचक/INFORMANT) पीड़ित ही हो। ऐसा इस लिए है क्योंकि जब एक घोर अपराध होता है तो वह केवल पीड़ित के साथ किया गया अपराध नहीं बल्कि वह समाज के विरुद्ध किया गया अपराध माना जाता है। घोर अपराध घटित होने से समस्त समाज में डर का माहौल पैदा हो जाता है जिस के कारण समाज चाहता है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को शीघ्र अति शीघ्र गिरफ़्तार किया जाए और उसको उसके किए का दण्ड दिलाया जाए । जब एक अपराधी को उस के द्वारा किए अपराध का दण्ड मिलता है तो लोगों का प्रशासन एवं न्यायतंत्र पर भरोसा बढ़ता है और उन्हें विश्वास होता है कि वे सुरक्षित हैं।

धारा 154 (1) के अनुसार जब एक व्यक्ति संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की सूचना थाना प्रभारी को देगा तो थाना

प्रभारी या उसके अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा उस सूचना को लिखित रूप में लाया जाएगा। लिखित में लाई गई सूचना को सूचक को पढ़ कर सुनाया जाएगा और उस पर सूचक के हस्ताक्षर लिए जाएँगे। उस के बाद पुलिस अधिकारी उस F.I.R. का सार रोजनामचे (Daily Diary Report/D.D.R.) में प्रविष्ट करेगा और F.I.R. की प्रतिलिपि (COPY) सूचक को नि:शुल्क देगा।

समान्यत: सूचक स्वयं पुलिस स्टेशन जाकर F.I.R. दर्ज करवाएगा परन्तु कुछ परिस्थितियो में जैसे कि बलात्कार वादों में या जहाँ पीड़ित व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग है तो पुलिस अधिकारी उस स्थान पर जाकर, (जहाँ पर पीड़ित रहता/रहती है) F.I.R. लेखबद्ध कर सकता है। दण्ड प्रिक्रिया संहिता, 1973 (CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973) की धारा 154 (3) अनुसार अगर पुलिस अधिकारी सूचक को F.I.R. दर्ज करने से इन्कार कर देता है तो वह व्यक्ति अपनी सूचना का सार खुद लिख कर पुलिस कप्तान (S.P) को ड़ाक द्वारा भेज सकता है। अगर कप्तान को सूचना पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यह सूचना संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) के सम्बन्ध में है तो वह स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण (INVESTIGATION) करने के लिए कह सकता है। इस अन्वेषण करने वाले अधिकारी के पास वे सभी शक्तियाँ (Powers) होंगी जो कि एक थाना प्रभारी (OFFICER INCHARGE OF POLICE STATION) के पास उस अपराध की अन्वेषण करने समय होती हैं।

परन्तु यदि पुलिस कप्तान (S.P) भी F.I.R. दर्ज करने से इन्कार कर दे तो सूचक दण्ड प्रिक्रिया संहिता, 1973 (CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973) की धारा 156 (3) अधीन न्यायिक मजिस्ट्रेट (इस को आगे 'न्यायालय' शब्द से संबोधित किया गया है) को आवेदन पत्र दे सकता है और अगर न्यायालय को लगता है कि कोई संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) हुआ है तो वह पुलिस